उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
U. P. Power Corporation Limited
(U.P.Govt. Undertaking)
CIN: U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या : 86 –अ0प्र0(2अ) / पाकालि / 2022 दिनांक 28 सितम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–73–अ0प्र0(02अ) / पा0का0लि0 / 2022 दिनांकः 17.08.2022 के अनुक्रम में श्री चन्द्रवीर सिंह गौतम–88073, मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता, वाणिज्य–चतुर्थ, श्री अनुराग माथुर–91038 एवं उनके नियन्त्रणाधीन अधिकारियों का कार्य आवंटन एतद्द्वारा निम्नवत् किया जाता है–

(1) मुख्य अभियन्ता(वाणिज्य): श्री चन्द्रवीर सिंह गौतम (88073)

अनुभाग	अधीक्षण अभियन्ता	वर्तमान में कार्यरत अधिशासी / सहा0 अभि0	कार्य का विवरण
वाणिज्य–चतुर्थ रेड इकाई	श्री अनुराग माथुर अधीक्षण अभियन्ता	श्री अभिषेक सिंह सहायक अभियन्ता	*1.* वितरण क्षेत्रों के अन्तर्गत प्रर्वतन / विभागीय दलों द्वारा विद्युत चोरी के विरूद्ध की जा रही रेड्स की कार्यवाही एवं विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों में दर्ज एफ0आई0आर0 के सम्बन्ध में आर0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाना एवं कार्ययोजना तैयार कर रेड्स की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किया जाना। *2.* उदय योजना के अन्तर्गत रेड्स सम्बन्धी साप्तहिक बैठक में रेड्स सम्बन्धी आकड़ों का पी0पी0टी0 के माध्यम से प्रस्तुतीकरण एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाना। *3.* विद्युत चोरी एवं अनियमितता के प्रकरणों किये गये राजस्व निर्धारण एवं राजस्व निर्धारण की वसूली के आकड़ों के अनुश्रवण सुनिश्चित करते हुए वितरण निगमों को तद्सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत कराया जाना। *4.* मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग में रेड्स एवं विद्युत चोरी सम्बन्धी वादो (**Petition No.26 SM of 2021**) में कारपोरेशन स्तर से आवश्यक रेड्स सम्बन्धी आकड़े उपलब्ध कराया जाना एवं मा0 आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना। *5.* सूचना का अधिकार अधिनियम–**2005** के अन्तर्गत प्रकरणों में विद्युत चोरी एवं रेड्स सम्बन्धी वांछित सूचनाओं को उपलब्ध कराया जाना। *6.* उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा प्रदेश में विद्युत चोरी रोकने हेतु वितरण निगमों के स्तर पर समय–समय पर चलाये जा रहें **अभियानों जैसे की सर्वदा योजना, कटिया हटाओं संयोजन पाओ अभियान, रेड कैम्प अभियान** हेतु कारपोरेशन

			स्तर से आदेशों को जारी किया जाना, आदेशों का क्रियान्वयन, अभियान सम्बन्धी सूचनाओं का संकलन एवं अनुश्रवण। *7.* विद्युत चोरी के सम्बन्ध में भारतीय विद्युत अधिनियम–**2003** की धारा–**135** के अन्तर्गत वितरण क्षेत्रों द्वारा की जाने वाली उपभोक्ता परिसरों की चेकिंग में पाई गई अनियमितताओं के उपरान्त की जाने वाली कार्यवाही। **a.** भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा–**126** के अन्तर्गत आने वाली अनियमितताओं के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार वितरण निगमों को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किया जाना। **b.** भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा–**135** एवं धारा–**138** के अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश। *8.* विद्युत चोरी के प्रकरणों में भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा–152 के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को उनके द्वारा उपभोग की जा रही विद्युत सेवा हेतु शमन–शुल्क की दर निर्धारण के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन स्तर से आवश्यक शासना देश जारी किये जाने हेतु पत्राचार। *9.* विद्युत चोरी के मामलों में रेड की कार्यवाही सम्पादित किये जाते समय अवांछित एवं हिंसक धटनाओं के सम्बन्ध में जिला एवं पुलिस प्रशासन को कार्यवाही हेतु आवश्यक सम्पर्क किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश। *10.* **मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन** एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन के स्तर से समस्त जिलाधिकारियों को चोरी रोकने हेतु वितरण निगमों द्वारा चलाये जाने वाले विभिन्न अभियानों की सफलता हेतु आवश्यकतानुसार जारी किये जाने वाले परिपत्र। *11.* विभिन्न वितरण निगमों के नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में कार्यरत प्रवर्तन दलों एवं विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों हेतु आवश्यक सहयोगी स्टाफ एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही एवं पत्राचार। *12.* वितरण निगमों द्वारा शमन–शुल्क की वसूली के राजस्व को उ0प्र0 शासन के खाते में जमा किये जाने के सम्बन्ध में पत्राचार एवं अनुश्रवण। *13.* विद्युत चोरी से सम्बन्धित शिकायती पत्रों का निस्तारण एवं वितरण निगमों के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा कृत कार्यवाही के उपरान्त शमन–शुल्क एवं राजस्व निर्धारण की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में अनुश्रवण की कार्यवाही। **a.** राजस्व निर्धारण पर उपभोक्ताओं के द्वारा किये जाने वाले वादों के सम्बन्ध में शिकायती पत्रों का निस्तारण। **b.** शासन द्वारा संदर्भित–विशिष्ट व्यक्तियों एवं वी0आई0पी0 प्रकरणों पर आवश्यक कार्यवाही। *14.* विद्युत चोरी के शिकायती एवं अन्य प्रकरणों में

			विभागीय कार्मिकों के दोषी पाये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध आवश्यक **अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।** *15.* कार्मिक प्रोत्साहन योजना के सम्बन्ध में आवश्यक पत्राचार किया जाना।
		श्री कन्हैया लाल सहायक अभियन्ता	❖ **वाणिज्य स्कन्ध के नोडल कार्यालय के रूप में संसदीय कार्य से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं।** 1. विधानसभा/विधान परिषद से प्राप्त प्रश्नों के वाणिज्य इकाई से सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन कर उत्तरों को कारपोरेशन को प्रेषित करना। 2. मा0 संसद, लोकसभा, एवं राज्य सभा से प्राप्त प्रश्नों के वाणिज्य इकाई से सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन कर उत्तरों को कारपोरेशन को प्रेषित करना। 3. मा0 विधानसभा, सदस्यों द्वारा नियम–51, 56, 300, 301, आदि नियमों में मांगी गयी सूचनाओं को विभिन्न इकाईयों से प्राप्त कर संकलित कर सूचना को कारपोरेशन को प्रेषित करना। 4. विधान परिषद, मा0 सदस्यों द्वारा नियम–103, 105, 110, 111, 115 आदि नियमों में मांगी गयी सूचनाओं को विभिन्न इकाईयों से प्राप्त कर संकलित कर सूचना को कारपोरेशन को प्रेषित करना। 5. निम्नलिखित समितियों के वाणिज्य इकाई से सम्बन्धित प्रकरणो का उत्तर विभिन्न ईकाइयो/कार्यालयो से प्राप्त कर सूचनाओं का संकलन कर उत्तर को कारपोरेशन को प्रेषित करना। ❖ **विधानसभा की** विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति, नियम समिति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जॉच सम्बन्धी समिति, संसदीय शोध संदर्भ एवं अध्ययन समिति, ❖ **विधान परिषद की** आश्वासन समिति, संसदीय अध्ययन समिति, संसदीय एवं सामाजिक सदभाव समिति, प्रदेशीय विधुत व्यवस्था सम्बंधी जांच समिति, विनियमन समीक्षा समिति, विधायी समाधिकार समिति, विशेषाधिकार समिति,

			याचिका समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, आदि
			❖ भारत सरकार की Liquidity Infusion Scheme के अंतर्गत कारपोरेशन की वित्त इकाई द्वारा आर0ई0सी0 एवं पी0एफ0सी0 के साथ किये गये अनुबन्ध एवं प्राप्त Special Long Term Transiant Loan (SLTTL) के अनुपालन मे राज्य ने अपने वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन में सुधार करने एवं सक्षम बनाने के कम में विभिन्न उपक्रम द्वारा कार्य योजनाए प्रस्तुत की गयी है। कार्ययोजनाओं के अनुपालन के मुल्यांकन हेतु आर0ई0सी0 /पी0एफ0सी0 एवं ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न प्रारूपों में सूचना, प्रेषित करने हेतु लेखा विभाग, एम0बी0सी0 सेल, स्मार्ट मीटर इकाई, आर0ए0यू0 इकाई, इनर्जी ऑडिट सेल, आई0टी0 यूनिट, कैस्को आदि कार्यालयो से प्राप्त कर सूचनाओं का संकलन करने के उपरान्त आर0ई0सी0, पी0एफ0सी0 एवं ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार (MOP) को प्रेषित करना।

कार्य आवंटन विषयक कार्यालय ज्ञाप सं0–79–अ0प्र0(2अ)/पाकालि/2022 दिनांक 20.08.2022 के साथ–साथ उक्त कार्यालय ज्ञाप सं0–73–अ0प्र0(2अ)/पाकालि/2022 दिनांक 17.08.2022 के शेष अन्य कार्य आवंटन यथावत् रहेंगे।

अध्यक्ष

संख्याः 86 –अ0प्र0(2अ)/पाकालि/2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. समस्त निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/ वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर।
4. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
6. उप सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार राय)
उप सचिव (अ0प्र0–02अ)